

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 318]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जून 2018—आषाढ 1, शक 1940

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2018

क्र. एक-35-61-2005-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई सेवाओं में अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध किया जाए,

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 22 जून 2018 से तीन माह की अवधि के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई, अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का, प्रतिषेध करती है:—

अनुसूची

ऊर्जा विभाग के अधीनस्थ सभी छः कंपनियों यथा एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्यप्रदेश पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/भोपाल/इंदौर एवं मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन/जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अनुसचिवीय व्यक्तियों की सेवाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोंसले, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2018

क्र. एफ-35-61-2005-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 जून 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोंसले, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd June 2018

F. No. 35-61-2005-II-C-1.—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to Prohibit refusal to work in the essential services specified in the Schedule below,

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashyak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhinyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential services specified in the Schedule with effect from 22nd June 2018 for a period of three months:—

SCHEDULE

”Concerned officers and employees, and Ministerial staff of M. P. Power Management Company Limited Jabalpur, Madhya Pradesh, Poorv/Madhya/Paschim Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited Jabalpur/Bhopal/Indore and M. P. Power Transmission/Generating Company Limited Jabalpur Under Energy Department GO MP.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. R. BHONSLE, Dy. Secy.